न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—312/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00158)

1. कजोड़ पुत्र गिरधारी जाति जाट, निवासी ग्राम डाबडी तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

01. प्रभात पुत्र बिरदाराम, **(दौरान अपील फौत)**
   1/1. श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी प्रभात,
   1/2. गोपाल लाल पुत्र प्रभात,
   1/3. श्रीराम पुत्र प्रभात,
   1/4. भगवान सहाय पुत्र प्रभात,
   1/5. कैलाश पुत्र प्रभात,
   1/6. मुकेश पुत्र प्रभात,
   1/7. सोनी देवी पुत्री प्रभात,
   1/8. कोयली देवी पुत्री प्रभात,
   1/9. मंजू देवी पुत्री प्रभात,
   1/10.राजू देवी पुत्री प्रभात, समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

———रेस्पोडेन्ट्स

3. लालाराम पुत्र हनुमान प्रसाद यादव,
4. सुरज्ञान पुत्र हनुमान प्रसाद यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम डाबडी तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. नाथू पुत्र रघुनाथ,
6. अर्जुन पुत्र गोपी,
7. भींवाराम पुत्र गोपी,
8. कानाराम पुत्र रूघनाथ,
9. पांचू पुत्र रघुनाथ,
10. प्रभू पुत्र रघुनाथ,
11. रामलाल पुत्र मानाराम,
12. बालू पुत्र गिरधारी,
13. बोदू पुत्र गिरधारी,
14. चौथू पुत्र गिरधारी,
15. हनुमान पुत्र काना,
16. जगदीश पुत्र काना,
17. रामनारायण पुत्र काना,
18. राधेश्याम पुत्र काना,
19. नवरंगलाल पुत्र राधेश्याम, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम डाबडी

(2)
निर्णय

दिनांक 27.08.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर राजस्थान के आदेश दिनांक 06.04.2018 (प्रकरण संख्या 64/2015) के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना समस्त पक्षकारान की समुचित तामील कराये बाला–बाला विधि विधान के विरूद्ध सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 04.06.2015 की पालना में पत्थरगढी के आदेश प्राप्त कर लिये जबकि प्रार्थी के नक्शे में गलत तरमीम हुई है, जिसमें अपीलान्ट की भूमि शामिल की गई है, अपीलान्ट को अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 11.07.2016 को ऐलानियॉ धमकी दी कि उन्होने भूमि का सीमाज्ञान कराकर अधीनस्थ न्यायालय से पत्थरगढी के आदेश प्राप्त कर लिये है, जिसकी पालना में मौके पर दिनांक 13.07.2016 को पटवारी हल्का व अन्य लोग मय पुलिस बल पहुॅच गये, जिस पर अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 09.07.2016 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई जिस पर उनके द्वारा दिनांक 21.07.2016 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल तैयार होकर दिनांक 03.08. 2016 को प्राप्त हुई जिस पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर समस्त दस्तावेजों के साथ अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के विपरित व विवाद के वास्तविक बिन्दु को समझे बिना कतई गलत मनमाना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दु पर कतई गौर नही किया गया कि जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी आदेश जारी किया गया है, उस पर अपीलान्ट के किसी भी प्रकार के कोई हस्ताक्षर नही है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि विधान के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर भी कतई गौर नही किया कि यदि किसी भी खातेदार द्वारा उसकी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कराया जाता है तो पड़ौसी काश्तकारों को सीमाज्ञान हेतु सूचना आवश्यक रूप से दी जाती है परन्तु इसके सम्बन्ध में पत्रावली पर सीमाज्ञान सभी पडौसी काश्तकारों के सामने हुई हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया, ना ही अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि सहकाश्तकारों द्वारा हस्ताक्षर करने

की गई थी, ऐसी स्थिति में उस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वह विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में भी अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये किसी प्रकार की विधिवत तामील नही कराई, अपीलाधीन आदेश पारित होने की व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने की अपीलान्ट को कतई सूचना नही थी, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम अपीलान्ट को जो नोटिस दिनांक 05.08.2015 को जारी किया गया है वह किसी अन्य व्यक्ति ने प्राप्त किया, इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार रजिस्टर्ड ए.डी.नोटिस जारी किये गये वह भी अपीलान्ट को प्राप्त नही हुये तथा सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार जब तक रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस की प्राप्ति रसीद या मूल रजिस्टर्ड ए.डी लौटकर नही आती तब तक उस व्यक्ति की तामील नही मानी जा सकती लेकिन इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया वह विधि विधान के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा केवल मात्र अपीलान्ट को हैरान व परेशान करने के लिये उक्त सीमाज्ञान व पत्थरगढी का आदेश प्राप्त किया है क्योंकि अपीलान्ट का वर्तमान नक्शा गत नक्शे के मुकाबले छोटा दर्शाया हुआ है, अपीलान्ट व उनके सहकाश्तकारों की भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि भी नक्शे में दर्शाई गई है जबकि गत नक्शें अनुसार उक्त भूमि अपीलान्ट की खातेदारी में थी इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई प्रमाण नही है, उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतः विधि विधान के विरूद्ध जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, वह निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर अर्से दराज से काबिज काश्त है, वह अपने पिता के जीवनकाल से कच्ची डोल के उपर पुख्ता तारबन्दी से महदूद कर रखी है तथा बबूल, शीशम, अरडू के पेड़ उक्त कच्ची डोल पर करीब 40–50 वर्षो से लगे हुये है एवं अपनी खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहे है, सही एवं वास्तविक स्थिति यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जबरन अधीनस्थ न्यायालय से पत्थरगढी के आदेश की आड़ में अपीलार्थी की कृषि भूमि में प्रवेश करना चाहते है जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नही है चूँकि अपीलार्थी काफी वर्षों से उक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग कर रहा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुये मनमाना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिले निरस्त है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा उनवानी प्रभात बनाम सरकार व अन्य

रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/10 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकर कते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 158 रकबा 2.38 हैक्टयर, खसरा नम्बर 159 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 167/858 रकबा 0.15 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.87 हैक्टयर वाके ग्राम डाबडी तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगायत 1/10 के पिता खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर उपयोग–उपभोग करता चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगायत 1/10 काबिज काश्त है तथा वे अपनी उक्त आराजी की सुरक्षा हेतु अपने खेत की तारबंदी करवा कर सुरक्षित रखना चाहते है जिससे कि सींव जोड़ के खातेदारों से कभी भी सीमा संबंधी किसी बात पर कोई विवाद उत्पन्न न हो, जिस कारण से उनके पूर्वज ने पूर्व मे आराजीयात का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार आमेर के समक्ष दिनांक 12.06.2015 का आवेदन किया गया है जिस पर तहसीलदार आदेश दिनांक 04.06.2015 की पालना में सीमाज्ञान पड़ौसियों की मौजूदगी में किया गया उसके मुताबिक वे अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराने के कानूनन अधिकारी है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगायत 1/10 ने कथन किया है कि उक्त सीमाज्ञान के पश्चात् रेस्पोडेन्ट के पूर्वज द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढी प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुऐ अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.04.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया है। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के आदेश दिनांक 28.08.2015 को किये गये है किन्तु अपीलान्ट की सम्यक् रूप से तामील हुई हो, ऐसे दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अथवा पत्रावली पर मौजूद नही है, द्वितीय पटवारी

कोई रिपोर्ट नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.04.2016 को उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.04.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर